कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 381 **/ओबरा/15 भू0ह0** **दिनांक–** 20-8-**2022.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर
पता–220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–3275/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक–02.05.2022 तथा पत्रांक–499/11–सी–एफ0सी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक–10.08.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 तथा पत्रांक–218/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–30.07.2022 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी हैः–

1. संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाईन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में पुनः प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक–01.10.2019 के पश्चात भी वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाईन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी दिनांक–16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी0एस0एस0 एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने (औसधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।

7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
8. क्षतिपूकरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु आन लाईन भाग 2 के एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल से पूर्व का त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना डिलिट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।
10. आन लाईन भाग 2 के कमांक 5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
11. उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल भी हो, पेन ड्राईव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए, संशोधित लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 381 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 499 /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, लखनऊ, दिनांकः अगस्त ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–3275/11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, दिनांक 20.05.2022 एवं आपका पत्रांक–434/मी0क्षे0/33, दिनांक 02.08.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी कमियों को दूर करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका पूर्ण निराकरण किये बिना ही आधा–अधूरा अभिलेख लूज में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में पुनः निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में पुनः प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंधनं न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात भी वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंधन के संबंध में सही स्थित्ति का उल्लेख करते हुये संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुनः संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है। किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना डिलिट कर संशोधित एन0पी0वी0 की गणना यथास्थान पर अपलोड नहीं किया गया है।
10. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में पुनः सही डाटा फीड नहीं किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
11. उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

४११ /11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, दिनांकित।

निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।